समाहरणालय, जमुई
(जिला नजारत शाखा)

जमुई जिला में भाड़े पर वाहन लेने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5247, दिनांक–03.06.2020 के आलोक में जिलों में पदस्थापित वरीय उप समाहर्त्ताओं एवं अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित अपर अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी एवं समय–समय पर जमुई जिलान्तर्गत विभिन्न पदाधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराने के लिये निम्नांकित शर्तो के अधीन भाड़े पर वाहन देने हेतु इच्छुक वाहन मालिकों/एजेंसियो से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता हैं–

1. वाहन का प्रकार–**(a)** स्कॉरपियो, **(b)** टाटा सुमो विक्टा, **(c)** इनोवा, **(d)** इनोवा क्रिस्टा, **(e)** टाटा सफारी, **(f)** एक्स0यू0वी0 **(g)** ग्रांड एक्सेंट/समकक्ष
2. वाहन चालक सहित होगा तथा संबंधित वाहन के लॉग–बुक के अनुसार ईंधन की आपूर्ति संबंधित कार्यालय प्रधान के द्वारा किया जायेगा।
3. वाहन की मरम्मति पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा।
4. वाहन अचानक खराब हो जाने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तत्काल दूसरा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। अगर वे ऐसा नही करते हैं तो जितने दिन वाहन खराब अथवा चालक की अनुपस्थिति के कारण उपयोग में नही लाया जा सकेगा उतने दिनों के लिए अनुपातिक भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. वित्तीय निविदा के माध्यम से दर निर्धारण किया जायगा। प्रत्येक प्रकार के वाहन हेतु न्यूनतम दरदाता द्वारा निर्धारित समयावधि (अधिकतम 07 दिन के अन्दर) वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रधान/सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर पर किसी भी सक्षम एजेंसी/वाहन मालिक से वाहन लिया जा सकेगा। इस संदर्भ में संबंधित न्यूनतम दरदाता का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
6. वाहन का रजिस्ट्रेशन व्यवसायिक वाहन के रूप में बिहार राज्य का ही होना चाहिए।
7. उपलब्ध कराया गया वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए। इस संबंध में अधियाची पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान का निर्णय अंतिम होगा।
8. वाहन का मासिक किराया सभी कर सहित निविदा में अंकित करना होगा। वित्तीय निविदा का प्रपत्र जिले की वेबसाईट https://jamui.nic.in पर देखा जा सकता है। वित्तीय निविदा विहित प्रपत्र में देना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसका नाम काली सूची में दर्ज नहीं है तथा उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। साथ ही, निविदादाता को पैन कार्ड की छाया प्रति तथा जी0एस0टी0 निबंधन से संबंधित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. इच्छुक निविदादाता दिनांक 26.02.2021 के अपराह्न 03:00 बजे तक जिला नजारत शाखा, जमुई में मुहरबंद लिफाफे में निविदा समर्पित कर सकते हैं।
11. निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
12. निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदा को दिनांक 01.03.2021 को अपराह्न 04:00 बजे जिला स्तरीय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि का उपस्थित रहना अपेक्षित है।
13. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
14. अग्रधन राशि के रूप में निविदादाता को निविदा के साथ मो0 10,000/– (दस हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, जमुई के पदनाम से जमानत राशि के रूप में संलग्न करना होगा।
15. वाहन को उपयोग हेतु 24 X 7 की तर्ज पर हमेशा उपलब्ध कराना वाहन मालिक की जवाबदेही होगी।
16. वाहन का किराया भुगतान से संबंधित विपत्र से नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
17. सेवा संतोषजनक नही होने पर वाहन को किसी भी समय हटाया जा सकेगा।
18. निविदादाता को समय–समय पर कार्यालय द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
19. विस्तृत जानकारी हेतु जिले की वेबसाईट https://jamui.nic.in देखी जा सकती है।

27/01/21
नजारत उप समाहर्त्ता,

27/01/2021
जिला पदाधिकारी,
जमुई।

जमुई जिला में भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय निविदा का विहित प्रपत्र ।

क्र0	वाहन का प्रकार/नाम	वाहन का मासिक किराया (सभी कर एवं शुल्क सहित रूपये में)
a	स्कॉरपियो	
b	टाटा सुमो विक्टा	
c	इनोवा	
d	इनोवा क्रिस्टा	
e	टाटा सफारी	
f	एक्स0यू0वी0 500	
g	ग्रान्ड एक्सेन्ट/समकक्ष	